

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा की देशी/विदेशी मदिरा/बीयर दुकानों विगत वर्ष की आबकारी नीति के अनुसार ही माह मई 2017 हेतु निर्धारित/आगणित राजस्व पर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 31.03.2017 तथा आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं० 1035 दिनांक 29.04.2017 के अनुसार संचालित कराई जानी हैं। जनपद की निम्नांकित मदिरा दुकानों को माह मई 2017 हेतु निर्धारित राजस्व पर संचालित करने हेतु इच्छुक आवेदकों से सील्ड लिफाफे में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र० सं०	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	माह मई हेतु ला०फीस	माह मई हेतु अधिभार	माह मई हेतु कुल राजस्व
1	भैंसियाछाना	देशी मदिरा	83000	948707	1031707
2	बंसौली	देशी मदिरा	78000	900195	978195
3	पनुवानौला	देशी मदिरा	149000	1716320	1865320
4	पण्डुवाखाल	देशी मदिरा	54000	625969	679969
5	कफुड़ा	देशी मदिरा	56000	650198	706198
6	मासी	देशी मदिरा	54000	617427	671427
7	पनुवानौला	विदेशी मदिरा	114000	1305514	1419514
8	भैंसियाछाना	विदेशी मदिरा	62000	717753	779753
9	बाड़ेछीना	विदेशी मदिरा	98000	1120867	1218867
10	बंसौली	विदेशी मदिरा	50000	577729	627729

उपरोक्त के अतिरिक्त बीयर की एक मात्र दुकान एन०टी०डी० अल्मोड़ा को माह मई 2017 के लिए अनुज्ञापन शुल्क रू० 13,125/- पर संचालित कराया जाना है।


उपरोक्त दुकानों में से यदि किसी दुकान के लिए निर्धारित राजस्व पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त दुकान के लिए सर्वाधिक राजस्व का आफर करने वाले आवेदक को दुकान आवंटन करने पर विचार किया जायेगा। उक्त दुकानों एवं उनके निर्धारित राजस्व से सम्बन्धित सूचना जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या 68 / पाँच-आब०/व्यवस्थापन/2017/दिनांक:मई 03, 2017
प्रतिलिपि -

1. जिला अधिकारी, अल्मोड़ा को अवलोकनार्थ।
2. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में दिनांक 04.05.2017 को ही प्रकाशित होने वाले संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ जनपद अल्मोड़ा की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सूचना पट जिला कार्यालय अल्मोड़ा/सूचना पट समस्त तहसीलों जनपद अल्मोड़ा पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।


जिला आबकारी अधिकारी
अल्मोड़ा।